सं. 402/92/2006-एमसी (2007 का 51)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
****

नई दिल्ली दिनांक 8th नवंबर 2007

प्रेस विज्ञप्ति

आयकर विभाग इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में पहले ही 30 लाख से अधिक रिफंड जारी कर चुका है, जिसमें कुल 18,448 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। गैर-निगमित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) श्रेणी में रिफंड भुगतान पिछले वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों की तुलना में 47.16 प्रतिशत (4,169 करोड़ रुपये की तुलना में 6,135 करोड़ रुपये) अधिक है।

इस वर्ष के दौरान 11 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विवरणी पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। 15 नवंबर 2007 तक और अधिक ऐसी विवरणी दाखिल किए जाने की उम्मीद है, जिसके लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। वित्तीय 2006-07 के दौरान, करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विवरणी दाखिल की गई थी। इनमें से 2,38,204 इलेक्ट्रॉनिक विवरणी विभाग द्वारा पहले ही संसाधित की जा चुकी हैं और ऐसे मामलों में 7 नवंबर 2007 तक 7,816.89 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड पहले ही जारी किया जा चुका है। शेष 1,06,139 इलेक्ट्रॉनिक विवरणी का प्रसंस्करण 30 नवम्बर 2007 तक किया जाएगा।

बड़े निगमित मामलों से संबंधित ₹1,000 करोड़ से अधिक के रिफंड को भी संसाधित किया गया है। इनमें से 5,400 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी कर दिया गया है और शेष रिफंड भी 30 नवम्बर, 2007 तक जारी कर दिए जाएंगे।

रिफंड बैंकर योजना - जो पिछले वित्त वर्ष के अंत में दिल्ली और पटना में शुरू की गई थी और बाद में कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई तक विस्तारित की गई- ने रिफंड की गति बढ़ाने में मदद की है। रिफंड के शीघ्र और सही जारी करने की सुविधा के लिए अब इसे करदाताओं की गैर-निगमित पीआईटी श्रेणी के लिए पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी कर विवरणी में अपने बैंक विवरण और ईसीएस संख्या प्रस्तुत करें ताकि उनके रिफंड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके बैंक खाते में जमा किया जा सके।

जल्द ही पूरे देश में रिफंड बैंकर योजना लागू होने के साथ, आयकर विभाग ने रिफंड मामलों को संसाधित करने में किसी भी कठिनाई की परिकल्पना नहीं की है। कर विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण की सुविधा के लिए अनुलग्नक रहित बनाया गया है।

XXX